भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2746

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक)

मजदूरों के पलायन को रोकना

2746. श्री राम शिरोमणि वर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कामगारों के पलायन को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और बलरामपुर जिले सहित देश के सभी आकांक्षी जिलों में स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) श्रावस्ती लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और आकांक्षी जिला बलरामपुर सहित उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोक सभा क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्यमंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): उद्योग राज्य का विषय है। राज्य अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपनी औद्योगिक नीतियां बनाते हैं। केन्द्र सरकार समय-समय पर उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल करती है और नीतियां बनती है। सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), भारत औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सुधार, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) आदि। जो देश भर में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना सुसाध्य बनाते हैं। इन सभी उपायों से प्रवासी कामगारों के सामने आने वाली समस्याओं में कमी आएगी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार के साथ जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने हेतु दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) आरंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और उनकी सहायता करना है। दिनांक 10.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार 30.70 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने पहले ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया है।

******